अध्याय - 3

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है	इस अध्याय में हमने जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.)/सहायक आबकारी आयुक्त (स.आ.आ.) के कार्यालयों में राज्य आबकारी राजस्व के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई नमूना जांच में पाये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 49.19 करोड़ के राजस्व प्रभाव से अन्तर्निहित **"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** पर एक निष्पादन लेखा परीक्षा तथा ₹ 11.81 लाख से अन्तर्निहित एक उदाहरणात्मक प्रकरण की राशि को प्रस्तुत किया है जहां हमने शीरे से अल्कोहल का उत्पादन न होना/ कम उत्पादन होना, विदेशी/देशी मदिरा, स्प्रिट का अनियमित निर्यात/परिवहन, निर्यात/परिवहन एवं विनिर्माण के दौरान मदिरा की अमान्य छीजन पर शास्ति का अनारोपण तथा रक्षा सेवाओं को प्रदाय की गई विदेशी मदिरा/बीयर पर शुल्क का कम आरोपण इत्यादि पाया जिनमें अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । यह चिन्ता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षो के दौरान बार–बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में हमारे द्वारा इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की है ।
कर संग्रहण	वर्ष 2011–12 में राज्य आबकारी से संग्रहीत करों में विगत वर्ष की तुलना में 19.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा मदिरा दुकानों की नीलामी से निष्पादन राशि में वृद्धि होना बताया गया।
विगत वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के सम्बंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली	वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान हमने 53,614 प्रकरणों में ₹ 669.44 करोड़ के राजस्व का अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, अव निर्धारण/राजस्व हानि आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने ₹ 421.34 करोड़ से अन्तर्निहित 39,635 प्रकरणों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और 4,527 प्रकरणों में ₹ 3.56 करोड़ की वसूली की । स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम 0.25 से 4.00 के मध्य रहा।

वर्ष 2011–12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम	वर्ष 2011–12 में हमने राज्य आबकारी प्राप्तियों से सम्बंधित 26 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा 3,661 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 115.18 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण, राजस्व हानि, शास्ति के अनारोपण आदि का पता चला । विभाग ने 1,791 प्रकरणों में ₹ 49.16 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2011–12 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किया गया था । वर्ष 2011–12 के दौरान 1,190 प्रकरणों में ₹ 62 लाख की राशि वसूल की गई ।
हमारा निष्कर्ष	विभाग को वसूल न की गई/कम वसूल की गई शुल्क, शास्ति तथा वार्षिक फीस को वसूल करने के लिए त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में, जहाँ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

अध्याय – 3

राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 कर प्रशासन

राज्य आबकारी राजस्व, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम,1915 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अर्न्तगत अधिरोपित या आदेशित किसी भुगतान, शुल्क, फीस, शास्ति या राजसातकरण से प्राप्तियों में सन्निहित होता है। इसमें विनिर्माण, आधिपत्य तथा विक्रय के लिये मदिरा का प्रदाय, मांग एवं पापीस्ट्रा से प्राप्त राजस्व भी सम्मिलित होता है।

3.2 संग्रहण की लागत

विगत पाँच वर्षो के दौरान राज्य आबकारी से सम्बंधित सकल संग्रहण, संग्रहण पर आबकारी विभाग द्वारा बताया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत, विगत वर्ष के सकल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण पर व्यय का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाया गया है :–

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष के लिये राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
2007-08	1853.83	396.04	21.36	3.30
2008-09	2301.95	505.46	21.96	3.27
2009-10	2951.94	818.34	27.72	3.66
2010-11	3603.42	963.86	26.75	3.64
2011-12	4316.49	1032.14	23.91	3.05

(स्रोत :– मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

राज्य उत्पाद शुल्क के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत की तुलना में असामान्य रूप से अधिक है। हमने अवलोकित किया कि वित्त लेखे में 'वसूली प्रभारों' को दर्शाने वाला कोई पृथक लघु शीर्ष नहीं है, जैसा कि विक्रय/व्यापार पर कर, वाहनों पर कर आदि जैसे अन्य करों के प्रकरण में है, तथा विनिर्माणकर्ताओं को भुगतान की गई मदिरा की लागत भी अन्य व्यय के साथ–साथ शीर्ष ''2039–राज्य आबकारी'' के अर्न्तगत लेखांकित की जा रही थी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 2012) कि विगत पाँच वर्षो के दौरान विनिर्माणकर्ताओं को भुगतान की गई मदिरा की लागत को कम करके संग्रहण पर लागत 1.61 एवं 1.90 प्रतिशत के मध्य रही थी, जो राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से कम थी।

शासन द्वारा विभाग की कार्यप्रणाली तथा निष्पादन के प्रभावी परिवीक्षण के लिये, अन्य करों हेतु निर्धारित शीर्षो की तरह ''वसूली प्रभार'' के रूप में एक पृथक उपशीर्ष खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। यद्यपि इसे 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, परन्तु इस सम्बंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये।

3.3 लेखापरीक्षा का प्रभाव

वर्ष 2006–07 से 2010–11 की अवधि के दौरान, हमने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 53,614 प्रकरणों में ₹ 669.44 करोड़ के राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, प्राप्ति न होना/कम प्राप्ति होना, अवनिर्धारण/राजस्व हानि को इंगित किया है । इन प्रकरणों में से, विभाग/शासन ने 39,635 प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 421.34 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था और ₹ 3.56 करोड़ की वसूली की गई (30 नवम्बर 2012)। विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूल		स्वीकृत राशि से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006-07	30	4,183	109.24	2,793	30.50	132	1.22	4.00
2007-08	40	12,185	88.06	9,520	24.73	504	0.39	1.58
2008-09	50	12,489	115.01	10,677	99.14	1956	0.63	0.64
2009-10	36	10,606	201.88	7,566	167.51	1271	0.42	0.25
2010-11	20	14,151	155.25	9,079	99.46	664	0.90	0.90
	योग	**53,614**	**669.44**	**39,635**	**421.34**	**4,527**	**3.56**	

विगत पाँच वर्षो में स्वीकार किये गये प्रकरणों में से वसूल की गई राशि अत्यंत कम है।

शासन द्वारा कम से कम स्वीकार किये गये प्रकरणों में वसूली सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र स्थापित किये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

3.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान राज्य उत्पाद प्राप्तियों से सम्बंधित 26 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 3,661 प्रकरणों में ₹ 115.18 करोड़ की राशि का अवनिर्धारण, राजस्व की हानि एवं शास्ति का अनारोपण आदि प्रकट हुआ, जिन्हे आगामी तालिका में दर्शाये अनुसार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	**"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	49.19
2	आबकारी दुकानों की पुनर्नीलामी /नीलामी में राजस्व की हानि	7	0.94
3	आबकारी दुकानों की लायरेंस फीस की वसूली न होना	17	0.88
4	लायसेंस की शर्तों के उल्लंघन पर शास्ति की वसूली न होना	1,326	0.21
5	अन्य प्रेक्षण	2,310	63.96
	योग	**3,661**	**115.18**

वर्ष के दौरान विभाग ने वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 1,791 प्रकरणों में अन्तर्निहित ₹ 49.16 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। वर्ष 2011–12 में 1,190 प्रकरणों में ₹ 62 लाख की राशि वसूल की गई।

"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें ₹ 49.19 करोड़ की राशि अन्तर्निहित है, तथा राशि ₹ 11.81 लाख से अन्तर्निहित शास्ति के अनारोपण के एक प्रकरण का उल्लेख अनुवर्ती कण्डिकाओं में किया गया है।

3.5 "मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण" पर निष्पादन लेखा परीक्षा

मुख्य बिन्दु

- शीरे से अल्कोहल के कम उत्पादन पर शास्ति ₹ 6.86 लाख का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.5.9.3)

- विभाग द्वारा शोधक्षम प्रतिभूतियों के साथ बैंक गारन्टी/बन्ध पत्र प्राप्त किये बिना स्पिरिट/विदेशी मदिरा का अनियमित निर्यात/परिवहन अनुमत्य किये जाने से उसमें सन्निहित ₹ 875.38 करोड़ का आबकारी शुल्क असुरक्षित रहा। मदिरा की अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर आबकारी शुल्क ₹ 20.25 करोड़ भी वसूल नहीं किया गया।

(कंडिका 3.5.14)

- मदिरा के निर्यात/परिवहन के दौरान अनुज्ञेय सीमा से अधिक छीजन पर न्यूनतम शास्ति ₹ 9.90 करोड़ लायसेंसधारकों पर आरोपित उवं उनसे वसूल नहीं की गई।

(कंडिका 3.5.16)

- लायसेंसधारकों द्वारा बोतलबंद देशी मदिरा के नामपत्रों का पंजीयन नहीं कराया गया, जिस पर पंजीयन फीस की राशि ₹ 32.40 लाख की प्राप्ति नहीं हुई। नामपत्रों के पंजीयन के बिना मदिरा का विनिर्माण भी अनियमित था।

(कंडिका 3.5.20)

- मदिरा दुकानों के 143 लायसेंसधारकों द्वारा पाक्षिक लायसेंस फीस/वार्षिक लायसेंस फीस की अन्तिम किश्त की राशि ₹ 1.20 करोड़ विहित समय सीमा के अन्दर जमा न किये जाने पर भी उन्हे मदिरा का प्रदाय दिया गया।

(कंडिका 3.5.21)

- सैन्य केन्टीन के थोक लायसेंसधारक से सैन्य केन्टीन के फुटकर लायसेंसियों को विदेशी मदिरा के प्रदाय पर आबकारी शुल्क ₹ 2.08 करोड़ कम आरोपित कियागया।

(कंडिका 3.5.22)

3.5.1 प्रस्तावना

मदिरा से तात्पर्य है, मादक मदिरा और इसके अर्न्तगत स्पिरिट, मद्य, ताड़ी, बीयर ऐसे समस्त तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हैं, या जिनमें अल्कोहल है, और कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा मदिरा घोषित करे, सम्मिलित किये जाते हैं। राज्य में आठ आसवनी एवं सात यवासवनी हैं। अल्कोहल का उत्पादन आसवनियों में शीरा एवं अन्य क्षारों जैसे महुआ एवं अनाज आदि से किण्वन एवं आसवन द्वारा किया जाता है। अल्कोहल से सम्मिश्रण, न्यूनीकरण, संयुक्तिकरण एवं सुवासन अथवा रंजन अथवा दोनों प्रक्रियाओं द्वारा देशी और विदेशी मदिरा का विनिर्माण किया जाता है। बीयर का विनिर्माण यवासनियों में माल्ट, अनाज, शक्कर और होप आदि से किया जाता है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (आबकारी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत आबकारी आयुक्त, मदिरा के विनिर्माण, वितरण तथा विक्रय को वार्षिक लायसेंस प्रदान कर नियंत्रित करते हैं। लायसेंस का वार्षिक नवीनीकरण आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार विहित फीस के भुगतान पर किया जाता है। राज्य में मदिरा के उत्पादन, आधिपत्य, विक्रय, निर्यात, आयात तथा परिवहन पर विभिन्न प्रकार के शुल्कों एवं फीस का आरोपण और संग्रहण आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाये गये नियमों के अर्न्तगत नियंत्रित किया जाता है। ये आबकारी विभाग के राजस्व के मुख्य स्त्रोत हैं।

आबकारी विभाग द्वारा "मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों के संग्रहण" पर हमने एक निष्पादन लेखापरीक्षा की, जिसमें प्रणालीगत एवं अनुपालन सम्बंधी बहुत सी कमियाँ प्रकट हुई। इनका अनुगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

3.5.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, शासन स्तर पर विभाग का प्रशासकीय प्रमुख होता है। आबकारी आयुक्त (आ.आ.) विभाग प्रमुख हैं, जिनकी सहायता के लिये मुख्यालय ग्वालियर पर एक अपर आबकारी आयुक्त, (अ.आ.आ.), तीन उपायुक्त आबकारी (उ.आ.आ.), सम्भागों में सात उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, जिलों में 15 सहायक आयुक्त आबकारी (स.आ. आ.) तथा 54 जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.) होते हैं। जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का प्रमुख होता है तथा मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के फुटकर विक्रय की दुकानों के व्यवस्थापन के लिये सक्षम है तथा आबकारी राजस्व की वसूली के लिये भी उत्तरदायी है।

आसवनियों, बोतल भराई संयत्रों (विदेशी मदिरा) तथा यवासवनियों में कार्य संचालन का परिवीक्षण जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा आसवनियों/यवासवनियों तथा बोतल भराई संयंत्रों में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारियों तथा उपनिरीक्षकों की सहायता से किया जाता है।

3.5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि क्याः

- स्पिरिट/मदिरा के विनिर्माण, आधिपत्य और विक्रय पर आरोपणीय शुल्क और फीस विभिन्न अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुसार वसूल की गई थी;
- अल्कोहल उत्पादन के लिये उपयोग किये गये कच्चे माल जैसे अनाज, शीरा इत्यादि पर उचित नियंत्रण रखा जा रहा था;
- मदिरा के निर्यात/परिवहन के सम्बंध में आयातक राज्य/मध्यप्रदेश राज्य से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर लिये गये थे, और निर्यातकर्ता/परिवहनकर्ता द्वारा विभाग को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिये गये थे।

3.5.4 लेखापरीक्षा के मानदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा निष्पादित करने हेतु लेखापरीक्षा के मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिये गये थे :

- मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (आबकारी अधिनियम);
- मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 (एम.पी.एफ.एल. नियम);
- मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 (एम.पी.डी. नियम);
- मध्य प्रदेश देशी मदिरा, नियम 1995 (एम.पी.सी.एस. नियम);
- मध्य प्रदेश यवासवनी तथा मद्य नियम (एम.पी.बी. एण्ड डब्ल्यू नियम);
- औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम 1955 (एम.एण्ड टी.पी.ई. डी. अधिनियम); एवं
- आबकारी आयुक्त/शासन द्वारा जारी आदेश, परिपत्र एवं अधिसूचनायें।

3.5.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

वर्ष 2002–03 से 2006–07 की अवधि को शामिल करते हुये **"मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों का संग्रहण"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका 3.2 में सम्मिलित की गई थी, जिस पर लोक लेखा समिति द्वारा फरवरी 2010 में चर्चा की गई। उनकी अनुशंसायें प्रतीक्षित हैं (मार्च 2013)। वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये, हमने दिसम्बर 2011 एवं मई 2012 के मध्य राज्य में 50 जिला आबकारी कार्यालयों में से 17[1] एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय के वर्ष 2007–08 से

[1] अशोकनगर, छिंदवाड़ा, देवास, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगौन, मन्दसौर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सीहोर, उज्जैन तथा विदिशा।

2011–12 के अभिलेखों की नमूना जाँच की। नमूना जाँच के लिये, हमने सभी सात आसवनियों, सात यवासवनियों में से तीन एवं 20 विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाईयों में से 12 को शामिल करते हुये 17 जिलों का चयन साधारण यादृच्छिक नमूना विधि के आधार पर किया था। हमने अवधि 2008–09 से 2011–12 के लिये निष्पादित की गई नियमित लेखा परीक्षा के दौरान पाये गये शुल्क, शास्ति इत्यादि के आरोपण/कम आरोपण के प्रकरणों को भी शामिल किया है।

3.5.6 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग, लेखा परीक्षा को जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने के लिये वाणिज्यिक कर विभाग एवं उसके सहयोगी कार्यालयों के सहयोग को स्वीकार करता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिये प्रमुख सचिव (वाणिज्यिक कर विभाग), आबकारी आयुक्त एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ अप्रैल 2012 में एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ हमने उन्हें लेखापरीक्षा के क्षेत्र, उद्देश्य एवं कार्य पद्धति की जानकारी दी। प्रारूप निष्पादन प्रतिवेदन शासन एवं विभाग को अगस्त 2012 में भेजा गया था। निर्गम सम्मेलन सितम्बर 2012 में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य सचिव ने शासन का तथा आबकारी आयुक्त ने विभाग का प्रतिनिधित्व किया था। शासन/विभाग का प्रत्युत्तर, जहाँ भी प्राप्त हुआ, शामिल किया गया है।

3.5.7 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि में कुल कर प्राप्तियों सहित आगामी तालिका एवं लाईन ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+)/कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों की तुलना में प्रतिशत
2007-08	1750.00	1853.83	(+) 103.83	(+) 5.93	12017.64	15.43
2008-09	2150.00	2301.95	(+) 151.95	(+) 7.07	13613.50	16.91
2009-10	2760.00	2951.94	(+) 191.94	(+) 6.95	17272.77	17.09
2010-11	3400.00	3603.42	(+) 203.42	(+) 5.98	21419.33	16.82
2011-12	4050.00	4316.49	(+) 266.49	(+) 6.58	26973.44	16.00

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान तथा वित्त लेखे)

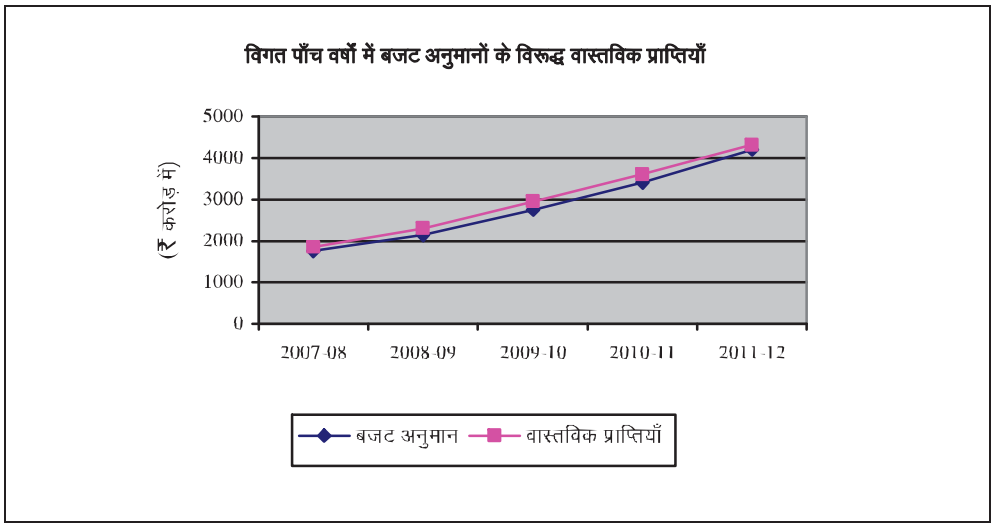

जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, राजस्व संग्रहण वर्ष 2007–08 में ₹ 1853.83 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 4316.49 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011–12 में राज्य उत्पाद से कर संग्रहण में 19.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विभाग द्वारा वृद्धि का कारण मदिरा दुकानों की नीलामी से निष्पादन राशि में वृद्धि होना बताया गया। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत 5.93 से 7.07 के मध्य रहा, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान वैज्ञानिक तरीके से तैयार किये गये थे। वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व के सापेक्ष राज्य उत्पाद प्राप्तियों का प्रतिशत 15.43 प्रतिशत से 17.09 प्रतिशत के मध्य रहा।

3.5.8 बकाया आबकारी राजस्व की स्थिति

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2012 की स्थिति में वर्ष 1967–68 से 2011–12 की अवधि से सम्बंधित 491 प्रकरणों में ₹ 66.58 करोड़ की राशि असंग्रहीत थी, जिसमें से ₹ 56.35 करोड़ की राशि पाँच वर्ष से अधिक अवधि से बकाया थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	प्रकरणोंकी संख्या	राशि
1	अपलेखन हेतु शासन को अग्रेषित किये गये प्रकरण	91	15.70
2	विभिन्न न्यायालयों में निर्णय हेतु लम्बित प्रकरण	23	5.26
3	जिला आबकारी कार्यालयों में लम्बित प्रकरण	377	45.62
	योग	**491**	**66.58**

(स्रोत :– विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया राजस्व की राशि कुल बकाया राशि का 84.64 प्रतिशत थी।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन द्वारा बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिये।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्रणालीगत कमियां

3.5.9 शीरा से अल्कोहल का उत्पादन न होना/कम उत्पादन होना

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के अनुसार आसवक शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा का न्यूनतम 84 प्रतिशत किण्वन क्षमता एवं घोल (वाश) में विद्यमान अल्कोहल का न्यूनतम 97 प्रतिशत आसवन दक्षता को बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा। शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रति क्विंटल से 91.8 प्रूफ लीटर (पी एल) अल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिये। इस उद्देश्य के लिये आसवनी अधिकारी शीरे के मिश्रित नमूने लेगा, और विभागीय प्रयोगशाला को जाँच के लिये भेजेगा। विभागीय प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर, आसवनी अधिकारी, अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा की गणना करेगा, जो कि न्यूनतम विहित मानदंडों के आधार पर आसवक द्वारा उत्पादित की जाना चाहिये। आसवक के निर्धारित दक्षता एवं अल्कोहल उत्पादन बनाये रखने में विफल रहने पर आबकारी आयुक्त 2 अक्टूबर 2008 तक ₹ 30 प्रति प्रूफ लीटर, 3 अक्टूबर 2008 से 13 दिसम्बर 2011 तक ₹ 150 प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक एवं उसके बाद तत्समय देशी मदिरा पर आरोपणीय शुल्क के बराबर शास्ति आरोपित कर सकेगा।

3.5.9.1 मध्य प्रदेश आसवनी नियमों में प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। हमने दिसम्बर 2011 में एक आसवनी[2] के रासायनिक परीक्षण से सम्बंधित अभिलेख, शीरे की भंडारण पंजी (डी–5)[3] एवं अल्कोहल उत्पादन पंजी (डी–9)[4] से अवलोकित किया कि आसवक ने जुलाई, अक्टूबर, नवम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 में 1,31,482 क्विंटल शीरे का उपयोग किया। उपयोग किये गये शीरे के रासायनिक परीक्षण

2 मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज, रायसेन।

3 डी–5 पंजी का संधारण आसवनी द्वारा शीरे की प्राप्ति, उपयोग एवं शेष का अभिलेख रखने हेतु किया जाता है।

4 डी–9 पंजी का संधारण आसवनी द्वारा उपयोग किये गये शीरे से अल्कोहल के उत्पादन का अभिलेख रखने हेतु किया जाता है।

प्रतिवेदन, नमूने प्रयोगशाला को भेजे जाने के दिनांक से 9 से 16 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी विभागीय प्रयोगशाला से प्राप्त होना अभिलेखों में नहीं पाया गया। अतः उत्पादन किये जाने वाली अल्कोहल की मात्रा की गणना लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने बताया (दिसम्बर 2011) कि रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अल्कोहल के उत्पादन की जाँच की जायेगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

विभाग द्वारा प्रयोगशाला की रिपोर्ट भेजने के लिये समय सीमा निर्धारित करने तथा प्रयोगशाला की जाँच प्रतिवेदन के अनुसार अल्कोहल के उत्पादन को सुनिश्चित करने अथवा शास्ति आरोपण की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है।

3.5.9.2 हमने दो जिलो[5] में दो आसवनियों[6] के शीरा के स्कंध एवं प्रदाय पंजी (डी–5) से अवलोकित किया (अप्रैल एवं मई 2012) कि आसवनियों में अगस्त/सितम्बर 2011 से 57,540.65 क्विंटल शीरा अनिराकृत पड़ा हुआ था। इस शीरे के अनिराकृत रहने के दिनांक को अथवा ठीक उससे पूर्व दिनांक को विभागीय प्रयोगशाला को भेजे गये शीरे के सैम्पल के विश्लेषण प्रतिवेदन में दर्शायी गई किण्वन योग्य शर्करा के प्रतिशत के अनुसार 22.15[7] लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल उत्पादन योग्य था। आगे यह देखा गया कि एक आसवनी के प्रकरण में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी होने के दिनांक से 60 दिन की अवधि के भीतर 3,500 मीट्रिक टन शीरे का विक्रय की अनुमति प्रदान की (अक्टूबर 2011) जिसमें से केवल 550 मीट्रिक टन शीरे का विक्रय किया जा सका। शीरे की शेष मात्रा 2,950 मीट्रिक टन के विनिर्दिष्ट अवधि 60 दिन के बाद चार माह व्यतीत होने के बाद भी अनिराकृत रहने के बारे में अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाया गया। दूसरी आसवनी के प्रकरण में 2,438.03 मीट्रिक टन शीरे के निराकरण हेतु सात माह व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार समय व्यतीत होने के कारण शीरे में विद्यमान शर्करा में कमी से लेखापरीक्षा में इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया कि आसवकों द्वारा अल्कोहल का उत्पादन मुख्यतः चावल, ज्वार एवं बाजरा से किया जा रहा था। आवश्यकतानुसार आरएस/ईएनए दूसरे राज्यों से भी आयात किया गया था। अतः अनिराकृत शीरे से अल्कोहल का उत्पादन न होने के कारण शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई थी। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि समय बीतने के साथ–साथ शीरे में विद्यमान शर्करा में कमी होने की सम्भावना थी, जिसका राजस्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

---

5 ग्वालियर तथा खरगौन।

6 मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा.लि., ग्वालियर तथा मेसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रिवेरीज लि., खरगौन।

7 24380.30 क्विंटल × 38.20 प्रू.ली. = 931327.46 प्रू.ली.
33160.35 क्विंटल × 38.71 प्रू.ली. = 1283637.14 प्रू.ली.
57540.65 क्विंटल = 2214964.60 (22.15 लाख) प्रू.ली.

3.5.9.3 हमने दो जिलो[8] में दो आसवनियों[9] की डी–9 पंजी एवं विभागीय प्रयोगशाला की रिपोर्टों से मई 2009 एवं अप्रैल 2012 के मध्य अवलोकित किया कि अप्रैल 2008 एवं फरवरी 2012 के मध्य उपयोग किये गये 12,302.6 क्विंटल शीरे से 5,38,297.6 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिये था। तथापि, वास्तविक उत्पादन 5,30,464.4 प्रूफ लीटर था। फिर भी, जिला आबकारी अधिकारियों (आसवनियों) द्वारा शास्ति आरोपण हेतु इन प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को संदर्भित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अधिकतम शास्ति ₹ 6.86 लाख[10] की प्राप्ति नहीं हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी, खरगौन ने बताया (अप्रैल 2012) कि परीक्षण के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)। जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स विन्ध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़ ने कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं दिया।

3.5.10 शीरे का कम लेखांकन किया जाना

आबकारी अधिनियम एवं उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों में शीरे के पारगमन, भंडारण अथवा अन्य कारणों से छीजन/कमी के लिये किसी छूट का प्रावधान नहीं है। मध्य प्रदेश आसवनी नियमों में प्रावधान है कि शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रत्येक क्विंटल से न्यूनतम 91.8 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन किया जाना चाहिये।

हमने दिसम्बर 2011 में एक आसवनी[11] में डी–5 एवं डी–9 पंजी से अवलोकित किया कि 1 फरवरी 2011 को डी–5 से डी–9 पंजी में 2,203 क्विंटल शीरे का स्थानान्तरण दर्शाया गया था, परन्तु डी–9 पंजी में केवल 2,202 क्विंटल स्थानान्तरित होना दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप 40.5[12] प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन जो एक क्विंटल शीरे से किया जा सकता था, लेखांकित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2011 को 1,21,219.05 क्विंटल शीरे का स्कंध था, जिसके विरूद्ध 1 अप्रैल 2011 को स्कंध पंजी में केवल 1,20,464.65 क्विंटल अग्रेनीत किया गया। इस प्रकार 754.4 क्विंटल शीरे का लेखांकन नहीं

---

8 खरगौन तथा राजगढ़।

9 मैसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी, खरगौन तथा मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़।

10 3431.7 प्रू.ली ×₹ 80 = ₹ 274536
2070.3 प्रू.ली ×₹ 30 = ₹ 62109
2331.2 प्रू.ली ×₹ 150 = ₹ 349680
7833.2 प्रू.ली ₹ 686325 (₹ 6.86 लाख)

11 मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, सेहतगंज, रायसेन।

12 एक क्विंटल शीरे में 44.12 प्रतिशत किण्वन योग्य शर्करा विद्यमान थी।
अल्कोहल का उत्पादन = 44.12×91.8/100= 40.5 प्रू.ली.

किया गया, जिससे 30,553.2 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन हो सकता था। इस प्रकार शासन कुल 30,593.7 प्रूफ लीटर (40.5 प्रू.ली. + 30,553.2 प्रू.ली.) अल्कोहल पर न्यूनतम शुल्क की राशि ₹ 48.95 लाख[13] से वंचित रहा।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने बताया (दिसम्बर 2011) कि कमी लिपिकीय त्रुटि के कारण थी। हम सहमत नहीं है, क्योंकि दिसम्बर 2011 में लेखापरीक्षा में उत्तरवर्ती सत्यापन के दौरान कम लेखांकन के प्रभाव का सुधार किया जाना नहीं पाया गया।

3.5.11 अहाता/शाप बार लायसेंस फीस का कम आरोपण

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियमों में प्रावधान है कि किसी एफ.एल.–1 लायसेंस* से संलग्न एफएल–1बी लायसेंस** (अहाता/शॉप बार लायसेंस) पर वार्षिक लायसेंस फीस, एफ.एल.–1 दुकान के वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत के समतुल्य होगी। वार्षिक मूल्य बेसिक लायसेंस फीस तथा वार्षिक लायसेंस फीस के योग के बराबर होगा। आगे, दुकानों के माध्यम से मदिरा की बिक्री की शर्तों में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में या इसके विपरीत 20 प्रतिशत तक लायसेंस फीस का समायोजन किये जाने का प्रावधान है।

* सील बंद बोतलों में विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु लायसेंस।

** केवल किसी एफएल–1 या एफएल–1ए लायसेंसधारक को प्रदान किये जाने वाले लायसेंस द्वारा किसी परिसर या अहाता, जो एफएल–1 या एफएल–1ए लायसेंसधारक के परिसर से संलग्न होगा, के भीतर विदेशी मदिरा के उपभोग की अनुमति दी जायेगी।

मदिरा दुकानों के विक्रय की शर्तों में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में लायसेंस फीस के समायोजन की स्थिति में एक एफ.एल.–1 दुकान से संलग्न अहाता लायसेंस के लिये वार्षिक लायसेंस फीस के अन्तर की राशि की वसूली हेतु प्रावधान नहीं किया गया है। हमने चार सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों[14] में अहाता लायसेंस प्रदाय पंजी से दिसम्बर 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य अवलोकित किया कि वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान 22 देशी मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस की राशि ₹ 5.72 करोड़ का समायोजन विदेशी मदिरा दुकानों में किया गया था। इस समायोजन के परिणामस्वरूप एफ.एल.–1 दुकानों का वार्षिक मूल्य ₹ 40 करोड़ से ₹ 45.72 करोड़ पुनरीक्षित किया जाना अपेक्षित था और अहाता लायसेंसों की लायसेंस फीस

---

13 30593.7 प्रू.ली × ₹ 160 = ₹ 4894992 (₹ 48.95 लाख)

14 स.आ.आ., इन्दौर, जबलपुर तथा रीवा एवं जि.आ.अ., मन्दसौर।

दुकानों के ऐसे पुनरीक्षित वार्षिक मूल्य के दो प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाना था। परन्तु पर्याप्त प्रावधानों के अभाव में, आरोपित की गई लायसेंस फीस ₹ 80.08 लाख के विरूद्ध बढ़े हुये वार्षिक मूल्य पर लायसेंस फीस की राशि, जो ₹ 91.45 लाख संगणित की गई, वसूल नहीं की जा सकी।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारियों ने दिसम्बर 2011 एवं फरवरी 2012 के मध्य बताया कि अहाता लायसेंस नियमानुसार दुकानों के निर्धारित वार्षिक मूल्य पर दो प्रतिशत की राशि जमा कराये जाने के बाद जारी किये गये थे। समायोजन लायसेंस जारी किये जाने के बाद किया गया था।

अतः विभाग द्वारा मदिरा दुकानों की बिक्री के लिये प्रत्येक वर्ष जारी की जाने वाली नीति में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में लायसेंस फीस के समायोजन की स्थिति में एफ.एल.–1 दुकान से संलग्न अहाता लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस के अन्तर की राशि वसूल किये जाने की शर्त निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3.5.12 वर्ट[15] के उत्पादन के लिये मानदण्ड निर्धारित न होना

मध्य प्रदेश यवासवनी एवं मद्य नियमों में वर्ट के उत्पादन के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है। तथापि, टेक्नीकल एक्साईज मैन्युअल (टीईएम)* की कंडिका 243 में प्रावधान है कि 84 पाउन्ड माल्ट या 56 पाउन्ड शर्करा से 36 गैलन वर्ट प्राप्त की जा सकती है।

* भारत में आबकारी अधिकारियों के उपयोगार्थ भारत सरकार के आदेशानुसार लाई गई एक संदर्भित किताब।

हमने रायसेन जिले में एक यवासवनी[16] के बीयर उत्पादन सम्बंधित अभिलेखों एवं इन्दौर में स्थित दो यवासवनियों[17] द्वारा दी गई जानकारी से अवलोकित किया कि सितम्बर 2010 एवं नवम्बर 2011 के मध्य की अवधि के दौरान 1,77,316.51 क्विंटल माल्ट एवं राइस फ्लेक तथा 24,816.45 क्विंटल शक्कर का उपयोग किया गया, जिससे टीईएम के प्रावधानों के अनुसार वर्ट के सम्भावित उत्पादन 922.49 लाख बल्क लीटर के विरूद्ध 827.62 लाख बल्क लीटर का उत्पादन किया गया। 4.74 लाख बल्क लीटर छीजन की छूट देने के बाद 90.13 लाख बल्क

15 "वर्ट" की परिभाषा के अनुसार यह ऐसी मदिरा है जो यवासवन की प्रक्रिया के दौरान माल्ट या अनाज के निःशेषण द्वारा शर्करा द्रव्य के विलयन से प्राप्त होती है। यह एक शर्करा विलयन है जो किण्वन योग्य मूल तथा पानी मिलाकर तैयार किया गया है, जिसमें किण्वन प्रारम्भ नहीं हुआ हो।

16 मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन।

17 मैसर्स माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर एवं मैसर्स एम.पी. बीयर प्रोडक्टस, इन्दौर

लीटर बीयर के कम उत्पादन के परिणाम स्वरूप आबकारी शुल्क ₹ 12.75 करोड़[18] की हानि हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने बताया कि स्ट्रोंग एवं लाईट बीयर में विद्यमान अल्कोहल का प्रतिशत अलग–अलग होता है, और इस स्थिति में माल्ट/शक्कर से उत्पादित बीयर की मात्रा एक समान नहीं हो सकती। इसलिये बीयर उत्पादन के लिये मानदण्ड निर्धारित किया जाना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, टीईएम शासन से अनुमोदित नहीं था। इसलिये विभाग टीईएम का अनुसरण करने के लिये कानूनन बाध्य नहीं था। तथ्य यह है कि राज्य को देय राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये बीयर के उत्पादन पर विभाग का नियंत्रण आवश्यक है।

अतः शासन द्वारा मध्यप्रदेश बीयर एवं मद्य नियमों में जौ, चावल, फ्लेक, शक्कर इत्यादि से वर्ट के उत्पादन हेतु मानदण्ड निर्धारित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3.5.13 आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष की कार्यप्रणाली

आबकारी आयुक्त कार्यालय में आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष (आईएसी) की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। इसका प्रमुख संयुक्त संचालक होता है, जो मध्यप्रदेश वित्त सेवा से तथा छः अधिकारी कोषालय एवं लेखा विभाग, मध्यप्रदेश से प्रतिनियुक्ति आधार पर पदस्थ किये गये हैं। आन्तरिक लेखापरीक्षा का कार्य इस कक्ष द्वारा निष्पादित किया जाता है। कक्ष की स्वीकृत एवं कार्यरत संख्या निम्न सारणी में दर्शायी गई है :

वर्ष	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
2007-08	6	6
2008-09	6	6
2009-10	6	6
2010-11	6	5
2011-12	6	5

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को दर्शाने वाले रोस्टर के अनुसार, वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष 48 से 50 इकाईयों की लेखापरीक्षा निष्पादित की जानी थी। लेखापरीक्षा हेतु योजनाबद्ध, लेखापरीक्षित इकाईयों एवं ली गई निराकृत एवं बकाया आपत्तियों की संख्या का विवरण आगामी तालिका में दिया गया है :

---

[18] 8320089 व.ली.×₹ 13.46 = ₹ 111988398
692359 व.ली.× ₹22.45 = ₹ 15543460
9012448 व.ली. ₹ 127531858 (₹ 12.75 करोड़)

वर्ष	रोस्टर के अनुसार इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों की संख्या	रोस्टर के संदर्भ में कमी	कमी का प्रतिशत	शामिल की गई कंडिकाओं की संख्या	निराकृत कंडिकाओं की संख्या	शेष कंडिकायें
2007-08	48	27	21	43.75	44	-	44
2008-09	48	38	10	20.83	50	-	50
2009-10	48	26	22	45.83	14	-	14
2010-11	50	41	09	18.00	60	07	53
2011-12	50	16	34	68.00	64	12	52

इस प्रकार 2007–08 से 2011–12 के मध्य पाँच वर्षो में से किसी में भी विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्तियों में अन्तर्निहित मौद्रिक मूल्य तथा वसूल की गई राशि आदि का विवरण आईएसी के पास उपलब्ध नहीं था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर आबकारी आयुक्त ने बताया (जनवरी 2013) कि कर्मचारियों की कमी एवं उनके अन्य कार्यो में संलग्न रहने के कारण, लेखापरीक्षा रोस्टर में निर्धारित अनुसार निष्पादित नहीं की जा सकी। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि तीन वर्षो में (2007–08 से 2009–10) कोई पद रिक्त नहीं था और शेष दो वर्षो में छः पदों में से केवल एक रिक्त था। इसके अतिरिक्त आन्तरिक लेखापरीक्षा आईएसी का प्राथमिक कार्य तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग था, जिसकी कर्मचारियों के अन्य कार्यो में संलग्न होने के कारण उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये थी।

अनुपालन में कमियां

3.5.14 विदेशी मदिरा/स्पिरिट का अनियमित निर्यात/ परिवहन एवं मदिरा / स्पिरिट की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना ।

3.5.14.1 आर.एस.[19] / ई.एन.ए.[20] का निर्यात/परिवहन

म0प्र0 आसवनी नियमों के अनुसार, स्पिरिट मध्य प्रदेश राज्य के भीतर या बाहर स्थित किसी आसवनी से अन्य आसवनी अथवा मदिरा भाण्डागार या बोटलिंग इकाई अथवा औद्योगिक इकाई को शुल्क का भुगतान किये बिना विक्रेता लायसेंसधारक द्वारा आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित भुगतान के लिये समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ प्रपत्र डी–2 में बंध पत्र निष्पादित करने पर ले जाया जा सकेगा । लायसेंसधारक गन्तव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी से एक आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन (ईवीसी) प्राप्त कर इसे अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि लायसेंसधारक ऐसा करने में विफल रहता है तो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित राशि की वसूली निष्पादित प्रतिभूति बंधपत्र से की जायेगी । आबकारी आयुक्त द्वारा निम्नानुसार वसूली योग्य राशि निर्धारित की गई है :

1. देशी मदिरा विनिर्माण हेतु आर.एस. के निर्यात/परिवहन किये जाने की दशा में, यह म0प्र0 में देशी मदिरा पर देय अधिकतम शुल्क के बराबर होगी
2. विदेशी मदिरा विनिर्माण के लिये अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिये ई.एन.ए. के निर्यात/परिवहन किये जाने की दशा में, यह म0प्र0 में विदेशी मदिरा पर तत्समय देय अधिकतम शुल्क के बराबर होगी ।

हमने दिसम्बर 2011 एवं मई 2012 के मध्य पांच जिलों[21] की सात आसवनियों[22] में निर्यात/परिवहन पंजी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य लायसेंसधारकों ने 1,444 अनुज्ञापत्रों पर 2,74,88,292.9 प्रूफ लीटर आरएस एवं 1,41,92,595 प्रूफ लीटर ईएनए जिसमें आबकारी शुल्क ₹ 703.51 करोड़[23] अन्तर्निहित था, शुल्क का भुगतान किये बिना अथवा समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं

---

19 परिशोधित स्पिरिट।

20 अतिरिक्त निष्क्रिय अल्कोहल।

21 धार, ग्वालियर, खरगौन, राजगढ़ तथा रायसेन।

22 मैसर्स ग्रेट गेलन लिमिटेड, धार, मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी लिमिटेड, धार, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खरगौन, मैसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी लिमिटेड, खरगौन, मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़ एवं मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन।

23 2,74,88,292.9 प्रू.ली.× ₹ 80 = ₹ 2,19,90,63,432
1,41,92,595 प्रू.ली.× ₹ 340.74 = ₹ 4,83,59,84,820
₹ 7,03,50,48,252 (₹ 703.50 करोड़)

के साथ प्रारूप डी–2 में बंध पत्र निष्पादित किये बिना निर्यात/ परिवहन किया । इस प्रकार राज्य के राजस्व हित को सुरक्षित करने हेतु निर्धारित कार्यविधि से समझौता किया गया और लायसेंसधारकों की मर्जी पर छोड़ दिया गया । आगे यह देखा गया कि आरएस/ईएनए के निर्यात अथवा परिवहन के संदर्भ में बंधपत्र के निष्पादन किये जाने तथा उनके सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने पर निगरानी रखने के लिये, इस प्रकार का कोई अभिलेख या आवधिक विवरणियाँ निर्धारित नहीं की गई थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स ग्रेट गैलियन लिमिटेड, धार ने बताया (अप्रैल 2012) कि उच्च प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त होने पर कार्रवाई की जायेगी । ग्वालियर जिले के अलावा अन्य आसवनियों के जिला आबकारी अधिकारियों ने दिसम्बर 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य बताया कि प्रपत्र डी–2 में बन्ध पत्र का निष्पादन कराये जाने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । जिला आबकारी अधिकारी, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर ने बताया (मई 2012) कि प्रपत्र डी–2 में बंधपत्र का निष्पादन कराया गया है। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि अधिनियम में प्रपत्र डी–2 में बंध पत्र के निष्पादन का प्रावधान है, अतः उच्च प्राधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी । इसके अतिरिक्त स्प्रिट का निर्यात/परिवहन अनुमत्य किये जाने के पूर्व समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बंधपत्रों का निष्पादन नहीं कराया गया ।

3.5.14.2 हमने जुलाई 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य तीन जिलों[24] में तीन आसवनियों[25] में निर्यात/परिवहन पंजी एवं ईवीसी से अवलोकित किया कि सितम्बर 2010 एवं जुलाई 2011 के मध्य की अवधि के दौरान लायसेंस धारकों ने सात अनुज्ञापत्रों पर 82275.5 प्रूफ लीटर आरएस/ईएनए अन्तर्निहित आबकारी शुल्क ₹ 3.45 करोड़ का भुगतान किये बिना अथवा समुचित शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ पपत्र डी–2 में बंधपत्र निष्पादित किये बिना निर्यात/परिवहन किया। यद्यपि इस प्रकार निर्यात / परिवहन किये गये आरएस/ईएनए की मात्रा की प्राप्ति के आबकारी सत्यापन प्रतिवेदन गन्तव्य इकाइयों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त नहीं हुये थे, फिर भी आसवनियों के जिला आबकारी अधिकारियों ने 40 दिन की अनुज्ञेय अवधि के आगे 157 से 383 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी शुल्क की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की । इसके अतिरिक्त, आसवनी अधिकारियों ने आरएस/ईएनए का निर्यात/परिवहन हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के पूर्व प्रपत्र डी–2 में बंध पत्र की जांच नहीं की । उन्होने यह जांच करने के लिये कि आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र निर्धारित समयसीमा के अन्दर प्राप्त हुये या नहीं, किसी पंजी का भी संधारण नहीं किया । इसके परिणामस्वरूप

[24] छतरपुर, ग्वालियर तथा खरगौन।

[25] मैसार्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खरगौन तथा मैसर्स कोक्स इण्डिया लिमिटेड, छतरपुर।

₹ 3.45 करोड़[26] के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारियों (आसवनी) ने जुलाई 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे । हम सहमत नहीं है क्योंकि विभाग, सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में शुल्क की वसूली करने में विफल रहा ।

3.5.14.3 विदेशी मदिरा/बीयर/बोतल बंद देशी मदिरा का निर्यात/परिवहन

आबकारी अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि कोई भी मादक द्रव्य किसी भी आसवनी, यवासवनी, मद्य भाण्डागार या भण्डारण के किसी अन्य स्थान से निर्यात/परिवहन नहीं किया जायेगा, जब तक कि लायसेंसधारक परिवहन/निर्यात किये जाने वाले मादक द्रव्य की पूरी मात्रा पर आरोपणीय निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा समान राशि की बैंक गारंटी या प्रपत्र एफ.एल.–23 में उतनी राशि के लिये पर्याप्त शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बंधपत्र निष्पादित कर प्रस्तुत नहीं करता है । इसके साथ ही लायसेंसधारक गंतव्य इकाई के प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) से आबकारी सत्यापन प्रमाणपत्र (ईवीसी) प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञापत्र की वैधता अवधि की समाप्ति के 40 दिनों के भीतर परिवहन/निर्यात अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। विफलता की स्थिति में अन्तर्निहित शुल्क की वसूली, जमा की गई राशि, प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी अथवा निष्पादित प्रतिभूति बंध पत्र से की जायेगी । आगे शासन ने अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर 2010 के द्वारा प्रावधान किया कि यदि ई.वी.सी. 40 दिन की निर्धारित समयावधि के बाद प्रस्तुत कर दी जाती है तो वसूल किया गया शुल्क आवश्यक सत्यापन के बाद निर्यातकर्ता को वापस कर दिया जायेगा ।

हमने नवम्बर 2011 एवं मई 2012 के मध्य पाँच जिलों[27] की सात बोतल भराई इकाईयों[28] एवं दो यवासवनियों[29] में निर्यात/परिवहन पंजी से अवलोकित किया कि लायसेंसधारकों ने अक्टूबर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य 7,738 अनुज्ञापत्रों पर 23,71,102 पेटी बोतलबंद विदेशी मदिरा (स्प्रिट) एवं 30,74,165 पेटी बीयर का निर्यात/परिवहन किया

---

26 20160 प्रू.ली.× ₹ 681 = ₹ 13728960
60480 प्रू.ली.×₹ 340.70 = ₹ 20605536
835.5 प्रू.ली.×₹ 160 = ₹ 133680
800 प्रू.ली.×₹80 = ₹ 64000 ₹ 34532176 (₹ 3.45 करोड़)

27 धार, ग्वालियर, इन्दौर, राजगढ़ तथा रायसेन।

28 मैसर्स ग्रेट गेलिअन लिमिटेड, धार, मैसर्स सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड, धार, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स रेडिको खैतान लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स ए.बी.डी. लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, राजगढ़ तथा मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन।

29 मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन तथा मैसर्स माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर।

जिसमें शुल्क ₹ 171.87 करोड़ अन्तर्निहित था । यह देखा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये विभाग ने निर्धारित शुल्क वसूल किये बिना अथवा बैंक गारंटी या अन्तर्निहित ड्यूटी राशि के लिये शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बंधपत्र प्राप्त किये बिना निर्यात/परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी किये। इस प्रकार राज्य के राजस्व हित को सुरक्षित करने हेतु निर्धारित क्रियाविधि के साथ समझौता किया गया और लायसेंसधारकों की मर्जी पर छोड़ दिया गया ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, मैसर्स सिल्वर ओक इंडिया लिमिटेड, धार एवं मैसर्स विन्ध्याचल डिस्टीलरी राजगढ़ के प्रभारी अधिकारियों ने मार्च एवं मई 2012 में बताया कि बैंक गारंटी प्राप्त होने अथवा बंधपत्र निष्पादन किये जाने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा । मैसर्स ग्रेट गैलियन लिमिटेड, धार, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्रा.लि., मैसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड एवं मेसर्स ए.बी.डी. लिमिटेड, ग्वालियर के आसवनी अधिकारियों ने अप्रैल एवं मई 2012 में बताया कि बंधपत्रों का निष्पादन कराया जा रहा था । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि शोधक्षम प्रतिभूतिओं के साथ बंधपत्रों का निष्पादन मदिरा के निर्यात/परिवहन की अनुमति देने पूर्व किया जाना था ।

3.5.14.4 हमने मई 2011 एवं मई 2012 के मध्य आठ जिलों[30] की 12 विदेशी मदिरा की बोतल भराई इकाईयों[31], तीन यवासवनियों[32], बाह्य निर्माताओं के दो केन्द्रीय भाण्डागारों[33] (एफ.एल.–10ए) एवं एक देशी मदिरा बोतल भराई इकाई[34] (सी एस –1ए) में निर्यात/परिवहन अनुज्ञापत्र पंजियों एवं ई.वी.सी. प्राप्ति पंजियों से अवलोकित किया कि लायसेंसधारकों ने मार्च 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य 522 अनुज्ञापत्रों पर 13,46,966.95 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा (स्प्रिट) 8,84,919.72 बल्क लीटर बीयर एवं 11,250 प्रूफ लीटर बोतल बंद देशी मदिरा का निर्यात/परिवहन किया, जिसमें ₹ 16.80 करोड़ का शुल्क अन्तर्निहित था। यद्यपि इस प्रकार निर्यात/परिवहन की गई मदिरा की मात्रा की प्राप्ति हेतु सत्यापन प्रतिवेदन गन्तव्य इकाइयों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्राप्त नहीं हुए थे, फिर भी विभाग ने अनुज्ञेय अवधि के बाद दो से 450 दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी बैंक गारंटी अथवा बंधपत्र से शुल्क के समायोजन हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की । इसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट – II में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 16.80 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

---

30 भोपाल, छतरपुर, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगौन तथा रायसेन।

31 मैसर्स यूनाइटेड रिपरिट लिमिटेड (एफ.एल.–9 तथा 9ए) भोपाल, मैसर्स जुबली ब्रेवरीज लिमिटेड, भोपाल, मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी लिमिटेड धार, मैसर्स ग्रेट गेलिअन लिमिटेड, धार, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स विनायक डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स परनार्ड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9, 9ए), ग्वालियर, मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन, मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन, मैसर्स रेडसन डिस्टीलरी, जबलपुर, मैसर्स डाइजिओ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, खरगौन तथा मैसर्स ऐसोसिएटेड एल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, खरगौन।

32 मैसर्स माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर, मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन तथा मैसर्स जगपिन ब्रेवरीज लिमिटेड, छतरपुर।

33 मैसर्स परनार्ड रिकार्ड इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर एवं मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, भोपाल।

34 मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारियों ने 517 प्रकरणों में मई 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य बताया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्तुत किये जायेंगे । भोपाल एवं छतरपुर जिले के पांच प्रकरणों के बारे में यह बताया गया कि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके थे। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि इन सभी प्रकरणों में सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में प्राप्त नहीं होने के कारण शुल्क वसूली योग्य था जिसके लिये विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की ।

3.5.15 न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किये जाने पर शास्ति का अनारोपण

म0प्र0 आसवनी नियमों के अनुसार एक आसवक द्वारा आसवनी में स्प्रिट का निर्धारित न्यूनतम स्टॉक बनाये रखना अपेक्षित है । इसमें विफल रहने पर, इस तथ्य पर विचार किये बिना कि शासन को वास्तव में कोई हानि हुई है या नहीं, आबकारी आयुक्त न्यूनतम निर्धारित स्टॉक से कम पायी गई मात्रा पर एक रूपया प्रति बल्क लीटर से अनधिक की शास्ति आरोपित कर सकेंगे । आसवनी अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे प्रकरणों के प्रभावी परिवीक्षण एवं शास्ति आरोपण हेतु प्रत्येक तिमाही में स्प्रिट की निर्धारित मात्रा के विरूद्ध कमी के प्रकरणों को आबकारी आयुक्त को सूचित करेगा ।

हमने अप्रैल 2012 में दो जिलों[35] में दो आसवनियों[36] के स्पिरिट स्टॉक एवं प्रदाय पंजी से अवलोकित किया कि जुलाई 2009 एवं जनवरी 2012 के मध्य आसवकों द्वारा 83 अवसरों पर स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्टाक संधारित नहीं किया गया था। तथापि, जिला आबकारी अधिकारी निर्धारित न्यूनतम स्टाक 27.93 लाख बल्क लीटर से कम पाई गई स्पिरिट पर ₹ 9.09 लाख की शास्ति आरोपण किये जाने हेतु मामला आबकारी आयुक्त के पास ले जाने में विफल रहे । इसके परिणामस्वरूप अधिकतम शास्ति ₹ 9.09 लाख का आरोपण नहीं हुआ ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, खरगौन ने बताया (अप्रैल 2012) कि आसवक को 'कारण बताओ' सूचना पत्र जारी किया गया था । जिला आबकारी अधिकारी, धार ने बताया (अप्रैल 2012) कि न्यूनतम स्टॉक का संधारण न किये जाने के प्रकरणों को आवश्यक कार्यवाही हेतु आबकारी आयुक्त को भेजा जायेगा । आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (मार्च 2013) ।

[35] धार तथा खरगौन।

[36] मैसर्स अग्रवाल डिस्टीलरी, खरगौन तथा मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी लिमिटेड ,धार।

3.5.16 अमान्य छीजन पर शास्ति का अनारोपण

आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि बोतल बंद विदेशी मदिरा/बीयर के सभी निर्यातों पर दूरी को ध्यान में लाये बिना अधिकतम छीजन की छूट 0.25 प्रतिशत होगी । परिवहन के सभी प्रकरणों में विक्रेता और क्रेता लायसेंसधारक एक ही जिले के होने पर यह 0.1 प्रतिशत होगी तथा उनके विभिन्न जिलों के होने पर 0.25 प्रतिशत होगी । बोतल बंद देशी मदिरा के निर्यात के प्रकरण में यह 0.25 प्रतिशत होगी और परिवहन के लिये यह दूरी का विचार किये बिना 0.5 प्रतिशत होगी। आगे राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2012 को किये गये संशोधन के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2011 से यह प्लास्टिक बोतलों में परिवहन के प्रकरण में 0.1 प्रतिशत होगी तथा कांच की बोतलों में परिवहन में 0.25 प्रतिशत होगी । आर.एस./ई.एन.ए. के प्रकरण में नियमों में एक आसवनी/भाण्डागार से दूसरे आसवनी/भाण्डागार को टैंकरों से परिवहन या निर्यात की गई स्पिरिट/ई.एन.ए. पर उनकी दूरी के अनुसार रिसाव या वाष्पीकरण के लिये 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक छीजन अनुमत्य है । अनुज्ञेय सीमा से अधिक छीजन की दशा में लायसेंसधारक शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई दर से शास्ति भुगतान के दायित्वाधीन होगा ।

हमने अगस्त 2011 एवं मई 2012 के मध्य 12 जिलों[37] के चार विदेशी मदिरा भाण्डागारों[38], पाँच विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाईयों[39], दो यवासवनियों[40], तीन आसवनियों[41] एवं सात देशी मदिरा भाण्डागारों[42] में ई.वी.सी. अवलोकित किया कि मई 2009 एवं मार्च 2012 के मध्य की अवधि में 5,669 प्रकरणों में निर्यात/परिवहन के दौरान 80,118.14 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा (स्पिरिट), 67,892.58 बल्क लीटर बीयर, 24,221.66 प्रूफ लीटर देशी मदिरा एवं 40,599.49 प्रूफ लीटर आरएस/ईएनए की छीजन अनुज्ञेय सीमा से अधिक पाई गई जिस पर निम्न तालिका में दर्शाये विवरण के अनुसार न्यूनतम शास्ति ₹ 10.02 करोड़ आरोपणीय थी :

37 बालाघाट, भोपाल, धार, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खरगौन, रायसेन, रीवा, सीहोर, श्योपुर तथा उज्जैन।

38 ग्वालियर, जबलपुर, रीवा तथा उज्जैन।

39 मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, गोविन्दपुरा, भोपाल, मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड, सरवर, भोपाल, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर, मैसर्स परनार्ड रिकार्ड इण्डिया लिमिटेड, ग्वालियर तथा मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी, धार।

40 मैसर्स माउंट एवरेस्ट ब्रेवरीज लिमिटेड, इन्दौर तथा मैसर्स सोम डिस्टीलरी एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड, रायसेन।

41 मैसर्स सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन, मैसर्स ग्वालियर एल्कोब्रू प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर तथा मैसर्स ओएसिस डिस्टीलरी, धार।

42 बालाघाट, बड़वाह, डबरा, ग्वालियर, सीहोर, श्योपुर तथा विजयपुर।

(₹ करोड़ में)

मदिरा की प्रकृति	निर्यात/परिवहित मात्रा (प्रू.ली./ ब.ली.)	दूसरी ओर प्राप्त मात्रा (प्रू.ली./ ब.ली.)	अंतर (प्रू.ली./ ब.ली.)	अनुमत्य छीजन (प्रू.ली./ ब.ली.)	अधिक छीजन (प्रू.ली./ ब.ली.)	शास्ति
विदेशी मदिरा (स्पिरिट)	13104323.74	12991647.37	112676.36	32558.22	80118.14	7.63
बीयर	12004309.2	11906405.91	97903.29	30010.70	67892.58	0.57
देशी मदिरा	6386491.75	6353110.28	33381.47	9159.80	24221.66	0.63
आर.एस. /ई.एन.ए.	4275082.10	4231732.31	43349.39	2749.90	40599.49	1.19
					योग	10.02

तथापि, यह देखा गया कि जबलपुर एवं रीवा जिलों में केवल ₹ 11.94 लाख की राशि वसूल की गई थी । शास्ति की शेष राशि ₹ 9.90 करोड़ के आरोपण हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 9.90 करोड के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

3.5.17 विदेशी एवं देशी मदिरा के विनिर्माण में अमान्य छीजन पर शास्ति का अनारोपण

आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि विदेशी/देशी मदिरा के विनिर्माण के दौरान सम्मिश्रण की क्रियाओं में समिश्रण कुण्ड में मिलाई गई स्पिरिट/ई.एन.ए. की मात्रा के एक प्रतिशत की दर से छीजन अनुमत्य है । अनुज्ञेय सीमा से अधिक छीजन होने पर, लायसेंसधारक 13 दिसम्बर 2011 तक तत्समय देशी मदिरा पर भुगतान योग्य शुल्क के तीन गुने परन्तु चार गुने से अनधिक और उसके बाद तत्समय भुगतान योग्य शुल्क की राशि से अनधिक की शास्ति का भुगतान करने दायित्वाधीन होगा।

हमने जून 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य तीन देशी मदिरा भाण्डागारों[43] एवं एक विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाई[44] में मदिरा विनिर्माण पंजियों से अवलोकित किया कि मार्च 2009 एवं अक्टूबर 2011 के मध्य की अवधि के दौरान 518 प्रकरणों में मदिरा विनिर्माण के लिये समिश्रण कुण्डों में 18,76,575.63 प्रूफ लीटर आरएस/ईएनए मिलाया गया था । इसमें 21,142.14 प्रूफ लीटर समिश्रण छीजन दशाई गई । इस प्रकार अनुज्ञेय सीमा 18,765.7 प्रूफ लीटर के विरूद्ध 2,376.44 प्रूफ लीटर अधिक छीजन अनुमत्य की गई, जिस पर न्यूनतम शास्ति ₹ 10.63 लाख आरोपणीय थी । तथापि, यह देखा गया कि

43 दमोह, नरसिंहगढ़ एवं पीलुखेड़ी

44 सोम डिस्टीलरी प्राइवेट लिमिटेड, रायसेन।

विभाग द्वारा शास्ति आरोपित एवं वसूल नहीं की गई । इसके परिणाम स्वरूप परिशिष्ट – III में दर्शाये विवरण अनुसार शास्ति ₹ 10.63 लाख की प्राप्ति नहीं हुई ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, राजगढ़ ने मार्च 2012 मे बताया कि छीजन 2.5 प्रतिशत की सीमा में थी । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि समिश्रण क्रिया में एक प्रतिशत की दर से छीजन अलग से अनुमत्य योग्य है और इस सीमा से अधिक छीजन के प्रकरण में शास्ति आरोपण योग्य होगी । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

3.5.18 मदिरा का निराकरण न होने के कारण आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना

आबकारी अधिनियम एवं उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि लायसेंस या लेबलों की समाप्ति, नवीनीकरण न होने तथा निरस्तीकरण होने पर, लायसेंसधारक स्पिरिट/मदिरा का सम्पूर्ण स्कंध जिला आबकारी अधिकारी के नियंत्रणाधीन रखेगा । हालांकि, उसे उक्त स्कंध को लायसेंस अथवा लेबलों की समाप्ति, नवीनीकरण न होने और निरस्तीकरण के दिनांक से 30 दिनों के भीतर किसी अन्य लायसेंसधारक को बेचने की अनुमति प्रदान की जा सकती है । जिसमें विफल रहने पर आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य पात्र लायसेंसधारक से ऐसे स्कंध को क्रय करने के लिये कह सकता है या नष्टीकरण इत्यादि के माध्यम से स्कंध के निराकरण के आदेश दे सकेगा ।

हमने नवम्बर 2011 एवं जनवरी 2012 के मध्य देशी मदिरा भाण्डागार उज्जैन एवं विदेशी मदिरा भाण्डागार सागर में स्कन्ध एवं प्रदाय पंजी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2009 से विदेशी मदिरा के 13 लेबलों का नवीनीकरण न होने और 1 अप्रैल 2011 से देशी मदिरा की बोतल भराई बन्द होने के कारण मद्यभाण्डागारों में अनिराकृत रखे हुये 13,104.10 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा एवं 7,246.40 प्रूफ लीटर आर.एस. के स्कन्ध का निराकरण करने हेतु 11 से 25 माह का समय व्यतीत होने के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकांश प्रकरणों में निराकरण नहीं किया जा सका क्योंकि आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश जारी नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप आगामी तालिका में दर्शाये विवरण अनुसार ₹ 21.62 लाख के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

(₹ लाख में)

विनिर्माणकर्ता का नाम	अनिराकृत रहने का दिनांक	मदिरा की मात्रा (प्रू.ली.)	शुल्क
मैसर्स एल्कोब्रू डिस्टीलरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9ए)	1.4.2009	1391.24	1.94
मैसर्स गोल्ड वाटर्स ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9)	1.4.2009	4516.23	3.90
मैसर्स मेनसन्स एण्ड समर्स प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9ए)	1.4.2009	2504.59	3.42
मैसर्स एस.जी.डिस्टलरीज़ लिमिटेड, (एफ.एल.–9)	1.4.2009	2164.68	2.18
मैसर्स डायजिओ रेडिको डिस्टीलर प्राइवेट लिमिटेड, (एफ.एल.–9क)	1.4.2009	2527.36	4.38
देशी मदिरा भाण्डागार, उज्जैन	1.4.2011	7246.40 (आर.एस.)	5.80
		योग	21.62

3.5.19 आसवनी में फ्लोमीटर की संस्थापना न होना

मध्य प्रदेश आसवनी नियमों के तहत आसवनी लायसेंसधारक आसवनी में तथा प्रदाय के समय स्पिरिट को मापने हेतु ऐसे माप, मापन यंत्र (गेजिंग मशीन), भारोत्तोलक यंत्र तथा अन्य उपकरणों को उपलब्ध कराएगा, जैसा कि आबकारी आयुक्त उसे उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे । आबकारी आयुक्त ने अपने परिपत्र दिनांक 29.12.2006 में नियंत्रक नाप, तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से सीलबन्द फ्लोमीटर संस्थापित करने हेतु निर्धारित किया था ।

हमने मार्च 2012 में राजगढ़ जिले के मैसर्स विंध्याचल डिस्टीलरी, पीलूखेड़ी में संयन्त्र एवं मशीन तथा उपकरणों के अभिलेखों से अवलोकित किया कि लायसेंसधारी ने आसवनी में फ्लोमीटर संस्थापित नहीं किया । जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने फ्लोमीटर संस्थापित न करने के लिये लायसेंसधारक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। हमने आगे देखा कि मापन गैजिंग रॉड से किया जा रहा था जो केवल लगभग मूल्य देता है और इस प्रकार हमने 40 अवसरों पर दो छोर पर अर्थात एक आसवक छोर पर (डी–1) और दूसरे लायसेंसी के उसी परिसर में स्थित विदेशी मदिरा बोतल भराई इकाई (एफ एल–9) पर मापन मूल्य में अन्तर पाया ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, राजगढ़ ने बताया कि आसवनी में प्रत्येक भण्डारण कुण्ड का गेजिंग किया गया था तथा प्रदाय के समय स्पिरिट का मापन गैजिंग रॉड से किया जा रहा था जो सही था । फ्लोमीटर आवश्यकता होने पर संस्थापित किया जायेगा । उत्तर नियमों एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुरूप नहीं है और गेजिंग रोड से मापन ने भी भिन्न–भिन्न मापन मूल्य दिये थे । आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

3.5.20 देशी मदिरा के लेबलों का पंजीयन न होने से राजस्व की प्राप्ति न होना

म0प्र0 देशी स्पिरिट नियमों में प्रावधान है कि आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत की गई देशी स्पिरिट की केवल ऐसी बोतलें मध्यप्रदेश में विक्रय, परिवहित की जायेंगी, आयात की जायेगी या मध्यप्रदेश से निर्यात की जायेंगी, जिनके नाम पत्र पर यथाविनिर्दिष्ट उपाख्यान/ब्यौरे दर्शाये गये होंगे। बोतल भराई की प्रत्येक इकाई हेतु रजिस्ट्रीकृत नामपत्र (लेबल्स) प्रत्येक वर्ष नवीकृत करवाये जायेंगे। किसी विनिर्माता द्वारा किसी नामपत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि इसे सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत या नवीनीकृत नहीं करवाया गया हो। राज्य शासन द्वारा जनवरी 2011 में अधिसूचना के तहत 1 अप्रैल 2011 से देशी मदिरा के प्रत्येक लेबल के लिये प्रथम रजिस्ट्रीकरण के समय ₹ 10,000 रजिस्ट्रीकरण शुल्क एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिये रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण शुल्क ₹ 1,000 पैकिंग सामग्रीवार, उपयोगिता के अनुसार और पात्र की धारितावार पृथक–पृथक निर्धारित किया गया है।

हमने मई 2012 में आबकारी आयुक्त कार्यालय में लेबल रजिस्ट्रीकरण पंजी से अवलोकित किया कि 27 मद्य भाण्डागारों [45] में देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये लायसेंस (सी एस–1 बी) जारी किये गये थे, तथा 324 नामपत्रों (प्रत्येक मद्य भाण्डागार में 12 नामपत्र) का प्रयोग करते हुये बोतल बन्द देशी मदिरा का परिवहन पाँच मद्य भाण्डागारों से अप्रैल 2011 में, 18 मद्य भाण्डागारों से अप्रैल एवं मई 2011 में तथा चार से 2011–12 में पूरे वर्ष के दौरान किया गया। तथापि, यह देखा गया कि लायसेंसधारियों द्वारा उपरोक्त बोतल भराई इकाईयों के लिये इन नामपत्रों को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण

[45] बड़वाह, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, धार, इन्दौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खण्डवा, खरगौन, महू, मंडला, मन्दसौर, नरसिंहगढ़, नरसिंहपुर, रीवा,सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी तथा सीधी।

शुल्क ₹ 32.40 लाख[46] की प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ–साथ अपंजीकृत लेबल्स का प्रयोग करते हुये मदिरा की बोतल भराई एवं परिवहन अनियमित था।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, आबकारी आयुक्त ने बताया (मई 2012) कि चूंकि कुछ आसवनियों में देशी मदिरा की बोतल भराई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, अतः 1 अप्रैल 2011 से 31 मई 2011 की अवधि के दौरान देशी मदिरा भाण्डागारों में देशी मदिरा की बोतल भराई के लिये सीएस–1बी लायसेंस जारी किये गये थे। यह बताया गया कि सीएस–1बी लायसेंस के तहत अप्रैल एवं मई 2011 के दौरान प्रत्येक मद्य भाण्डागार में बोतल भराई के लिये अलग से रजिस्ट्रीकरण शुल्क लिया जाना उचित नहीं होगा। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि नियमानुसार, प्रत्येक बोतल भराई इकाई के लिये लेबल्स का रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है। तथापि, चार मद्य भाण्डागारों[47] में सम्पूर्ण वर्ष के लिये बोतल भराई हेतु जारी किये गये लायसेंसों के बारे में आबकारी आयुक्त ने कोई उत्तर नहीं दिया।

3.5.21 मदिरा के अनियमित प्रदाय पर शुल्क की प्राप्ति न होना

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिये दुकानों से मदिरा विक्रय की शर्तों में प्रावधान है कि लायसेंसधारक द्वारा मदिरा दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस का भुगतान 24 पाक्षिक किस्तों में उसमें निर्धारित नियत दिनांकों को किया जायेगा। इसके अलावा अधिसूचनाओं में प्रावधान है कि अन्तिम किस्त अनिवार्यतः वर्ष की 25 मार्च तक जमा की जाना चाहिये और मदिरा का प्रदाय 27 मार्च तक दिया जा सकेगा, इसमें विफल रहने पर जमा राशि पर मदिरा का प्रदाय नहीं दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय अनुदेशों (दिसम्बर 2008) में प्रावधान है कि नियत दिनांक के बाद जमा की गई वार्षिक लायसेंस फीस की किस्तों के विरूद्ध मदिरा का प्रदाय अवैध है, तथा ऐसे प्रकरणों में ब्याज सहित शुल्क की वसूली की जायेगी। हालांकि अनुदेशों में ब्याज दर का उल्लेख नहीं था।

हमने जून 2011 एवं सितम्बर 2011 के मध्य दो जिला आबकारी अधिकारियों[48] के अभिलेखों {लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली पंजी (जी–2) चालान एवं मदिरा प्रदाय पंजियों} से अवलोकित किया कि मदिरा दुकानों के 11 लायसेंसधारकों ने निर्धारित पाक्षिक लायसेंस फीस ₹ 15.68 लाख नियत

46 324 × ₹ 10000 = ₹ 3240000 (₹ 32.40 लाख)

47 बालाघाट, छिंदवाड़ा, खण्डवा तथा शिवपुरी।

48 दमोह एवं दतिया।

तिथियों के बाद जमा की थी। हमने आगे अवलोकित किया कि तीन जिलों[49] के मदिरा दुकानों के 44 लायसेंसधारकों ने ₹ 37.17 लाख की राशि 25 मार्च 2010 एवं 2011 के बाद जमा की। इस प्रकार, इन प्रकरणों में मदिरा का प्रदाय अनुमत्य नहीं था, परन्तु प्रदाय दिया गया। इसके अतिरिक्त, 87 लायसेंसधारकों ने ₹ 63.42 लाख की राशि 25 मार्च 2010 एवं 2011 के पूर्व जमा करा दी थी, परन्तु मदिरा का प्रदाय वर्ष के 27 मार्च के बाद दिया गया। शिवपुरी जिले के एक प्रकरण में एक लायसेंसधारक ने ₹ 3.30 लाख 28 मार्च 2011 को जमा किये और मदिरा का प्रदाय 6 मई 2011 को (अर्थात् आगामी वर्ष) में किया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर अन्तर्निहित शुल्क ₹ 1.20 करोड़ की मदिरा का अनियमित प्रदाय हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, दमोह ने कहा (जून 2011) कि प्रदाय की अनुमति राजस्व हित में दी गई थी, तथा इससे शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई। जिला आबकारी अधिकारी, दतिया ने बताया (सितम्बर 2011) कि प्रदाय मद्यभाण्डागार अधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से दिया गया था। जिला आबकारी अधिकारी, रतलाम ने बताया (जनवरी 2012) कि मदिरा का प्रदाय लायसेंसधारक की वर्ष के शेष बचे हुये भाग के लिये आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनुमत्य किया गया था और शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई। सहायक आबकारी आयुक्त, ग्वालियर तथा जिला आबकारी अधिकारी, राजगढ़ ने बताया (अक्टूबर 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि लायसेंसधारकों द्वारा 25 मार्च 2010 तक सम्पूर्ण लायसेंस फीस जमा नहीं कराई गई थी और मदिरा का प्रदाय 26 मार्च 2010 तक पूर्ण नहीं हुआ था, अतः प्रदाय बाद की तिथियों में दिया गया। जिला आबकारी अधिकारी, शिवपुरी ने मदिरा का प्रदाय आगामी वर्ष में दिये जाने के सम्बंध में बताया (मई 2012) कि प्रदाय आबकारी अयुक्त की अनुमति से दिया गया था। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि मदिरा का प्रदाय वर्ष के 27 मार्च के बाद एवं नियत तिथियों के बाद जमा राशि पर अनुमत्य नहीं था।

3.5.22 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की गई विदेशी मदिरा/बीयर पर शुल्क का कम आरोपण

आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी 2010 के तहत जारी वर्ष 2010–11 के लिये दुकानों से मदिरा विक्रय की शर्तों के अनुसार, रक्षा सेवाओं को विदेशी मदिरा का प्रदाय आम नागरिकों के लिये आरोपणीय शुल्क का रम के लिये 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा के लिये 50 प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करने पर किया जायेगा।

हमने दिसम्बर 2011 में जबलपुर जिले के एफ एल–6[50] लायसेंसधारकों के स्कंध एवं प्रदाय पंजी से अवलोकित किया कि अप्रैल 2010 से नवम्बर 2010 की अवधि के

49 राजगढ़, रतलाम तथा शिवपुरी।

50 सैन्य कैन्टीन थोक लायसेंस।

दौरान 54 लेबल्स की 1,54,412 पेटी विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर) का प्रदाय एफएल–7[51] लायसेंसधारकों को ₹ 8.62 करोड़ शुल्क के भुगतान पर किया गया, जबकि वास्तविक आरोपणीय शुल्क ₹ 10.70 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप परिशिष्ट 'IV' में दर्शाये अनुसार ₹ 2.08 करोड़ शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा इसको इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर ने बताया (फरवरी 2012) कि लायसेंसधारकों को वसूली हेतु सूचना पत्र जारी किये गये हैं। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

3.5.23 वार्षिक लायसेंस फीस की कम वसूली होना

आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये मदिरा दुकानों में मदिरा विक्रय के लिये जारी अधिसूचनाओं में प्रावधान है कि समूह की दुकानों में देशी मदिरा से विदेशी मदिरा दुकान में था इसके विपरीत अधिकतम 20 प्रतिशत तक लायसेंस फीस का समायोजन सम्बंधित लायसेंसी की मांग और आवश्यकता का परीक्षण कर, जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संभाग के उप आयुक्त आबकारी के अनुमोदन उपरांत अनुमत्य किया जा सकेगा। ऐसे समायोजन की सूचना एसी समय सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को भी भेजी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त समूह की प्रत्येक दुकान का पृथक–पृथक एवं स्वतंत्र पहचान होगी।

हमने मई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य चार जिला आबकारी कार्यालयों[52] में जी–2 पंजियों एवं सम्बंधित अभिलेखों से अवलोकित किया कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये 20 मदिरा दुकानों की लायसेंस फीस रूपये 17.45 करोड़ थी, तथा संभाग के उप आयुक्त आबकारी के अनुमोदन से सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ने समूहों के भीतर की 14 विदेशी मदिरा से 14 देशी मदिरा तथा छः देशी मदिरा से छः विदेशी मदिरा दुकानों में 20 प्रतिशत तक लायसेंस फीस ₹ 3.20 करोड़ का समायोजन अनुमत्य किया था। इस प्रकार वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के लिये 20 दुकानों की लायसेंस फीस ₹ 20.65 करोड़ संगणित हुई। तथापि, यह देखा गया कि ₹ 1.37 करोड़ की वसूली शेष छोड़कर लायसेंस फीस ₹ 19.28 करोड़ जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.37 करोड़ की लायसेंस फीस कम प्राप्त हुई।

---

51 सैन्य कैन्टीन फुटकर लायसेंस।

52 दमोह, इन्दौर, राजगढ़ तथा शिवपुरी।

हमारे द्वारा इन प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, सभी जिला आबकारी अधिकारियों ने मई 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य बताया कि लायसेंसधारकों ने अनुमत्य पूर्ण समायोजन का लाभ नहीं लिया, और इस प्रकार उन्होनें पाक्षिक लायसेंस फीस की राशि उन दुकानों में जमा की जिनमें से समायोजन का लाभ नहीं लिया गया था। इस प्रकार दुकानों के समूह की लायसेंस फीस पूर्ण रूप से जमा की गई थी, और शासन को कोई हानि नहीं हुई। चूंकि नियमों में समायोजन के निरस्तीकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था अतः उसका लाभ न लेना अनियमित नहीं था। हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि समायोजन उप आयुक्त आबकारी के अनुमोदन से लायसेंसधारकों की मांग एवं आवश्यकता के परीक्षण के उपरांत अनुमत्य किया गया था।

3.5.24 मदिरा का अनियमित प्रदाय

आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2008, 16 जनवरी 2009 एवं 28 जनवरी 2010 के तहत जारी वर्ष 2008–09, 2009–10 एवं 2010–11 के लिये मदिरा दुकानों के विक्रय की शर्तो में प्रावधान था कि यदि फुटकर बिक्री की मदिरा दुकान का लायसेंसधारक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व, जमा प्रतिभूति राशि और कोई अन्य देय राशि को कम करने के बाद शेष वार्षिक लायसेंस फीस की राशि जमा कर देता है, और वह प्रतिभूति जमा राशि का समायोजन, शेष बची लायसेंस फीस के विरूद्ध चाहता है, तो सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसे समायोजन की अनुमति प्रदान कर सकेंगें। प्रावधानों के अनुसार इस जमा प्रतिभूति के बराबर राशि पर मदिरा के प्रदाय की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु किसी भी पक्ष में निर्धारित पाक्षिक लायसेंस फीस से अधिक राशि पर मदिरा के प्रदाय की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

म0प्र0 देशी स्पिरिट नियमों में प्रावधान है कि फुटकर विक्रेता की माँग एवं स्पिरिट हेतु वसूली योग्य प्रदाय मूल्य का कोषालय में भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर, लायसेंसधारक आवश्यकता होने पर निर्धारित शक्ति की सेवन योग्य स्पिरिट की आपूर्ति करेगा।

3.5.24.1 हमने दिसम्बर 2011 में सहायक आबकारी आयुक्त, रायसेन की जी–2[53] एवं डी–17[54] पंजियों से अवलोकित किया कि फरवरी 2010 के अंत में जिला आबकारी अधिकारी के आदेश से तीन समूहों[55] की नौ मदिरा दुकानों के तीन लायसेंसधारकों को वर्ष 2009–10 की शेष बची लायसेंस फीस के विरूद्ध ₹ 27.56 लाख की जमा प्रतिभूति का समायोजन की अनुमति किया गया। यद्यपि लायसेंसधारकों को मदिरा का प्रदाय

[53] वार्षिक लायसेंस एवं बेसिक लायसेंस फीस की मांग एवं संग्रहण पंजी।

[54] देशी मदिरा प्रदाय पंजी।

[55] देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का एक समूह।

अनुमत्य था, फिर भी जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मदिरा उठाने की अनुमति नहीं दी गयी, जिसके कारणों का उल्लेख अभिलेखों में नहीं था। राशि वर्ष 2009–10 के लिये दुकानों की वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध समायोजित कर दी गई। तथापि इसके विरूद्ध मदिरा का प्रदाय आगामी वर्ष (2010–11) में किया गया, जो नियमों के अर्न्तगत नहीं था।

हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर, जिला आबकारी अधिकारी, रायपुर ने बताया कि प्रदाय आबकारी आयुक्त के आदेश से अनुमत्य किया गया था। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि आगामी वर्ष में मदिरा का प्रदाय नियमों के अंतर्गत नहीं था।

3.5.24.2 हमने जून 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य दो जिला आबकारी अधिकारियों[56] के जी–2 एवं डी–17 पंजियों से अवलोकित किया कि फरवरी 2009, 2010 एवं 2011 के अन्त में तीन मदिरा दुकानों के लायसेंसधारियों को ₹ 15.18 लाख की जमा प्रतिभूति का समायोजन की अनुमति दी गयी थी। इसमें से राशि ₹ 12.60 लाख पर लायसेंसधारकों को मार्च 2009, 2010 एवं 2011 के प्रथम एवं द्वितीय पक्ष में मदिरा का प्रदाय अनुमत्य किया गया जो इन पक्षों के लिये निर्धारित लायसेंस फीस ₹ 4.29 लाख से ₹ 8.31 लाख अधिक था । इसके परिणामस्वरूप अन्तर्निहित शुल्क ₹ 8.31 लाख की मदिरा का अनियमित प्रदाय हुआ ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी, अशोक नगर ने बताया (मार्च 2012) कि लायसेंसधारक को मार्च 2009 के प्रथम एवं द्वितीय पक्ष में मदिरा का अधिक प्रदाय अनुमत्य किया गया था क्योंकि उसने फरवरी 2009 के प्रथम एवं द्वितीय पक्ष में मदिरा का प्रदाय नहीं लिया था । उत्तर नियमों के अनुरूप नहीं है। जिला आबकारी अधिकारी, दमोह ने बताया (जून 2011) कि चूंकि लायसेंस फीस के समायोजन के लिये बैंक ड्राफ्ट 28.02.2011 को प्राप्त हो गया था, अतः मदिरा का प्रदाय तीन पक्षों के लिये अनुमत्य किया गया। हम सहमत नहीं हैं क्योंकि चालान से राशि 01.03.2011 को जमा की गई थी और इसलिये फरवरी 2011 के दूसरे पक्ष के लिये मदिरा का प्रदाय मान्य नहीं था ।

3.5.25 आयात फीस की कम वसूली

म0प्र0 यवासवनी एवं मद्य नियमों में प्रावधान है कि राज्य के बाहर से बीयर का आयात शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये आयात शुल्क के भुगतान पर किया जा सकता है । शुल्क 31 मार्च 2011 तक ₹ 11 प्रति बल्क लीटर एवं उसके बाद ₹ 15 प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया गया था ।

हमने दिसम्बर 2011 में सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर के कार्यालय में आयात अनुज्ञा पत्रों एवं चालानों से अवलोकित किया कि अप्रैल 2011 एवं नवम्बर 2011 मे मध्य की अवधि के दौरान एक एफएल–6 लायसेंसधारक द्वारा 37 अनुज्ञापत्रों पर

[56] अशोकनगर तथा दमोह।

1,76,946 बल्क लीटर बीयर का आयात सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आयात अनुज्ञापत्रों के विरूद्ध किया गया । पुरानी दरों पर शुल्क का आरोपण होने के कारण आरोपणीय आयात शुल्क ₹ 26.54 लाख के विरूद्ध ₹ 19.46 लाख का आरोपण किया गया । इसके परिणामस्वरूप आयात शुल्क ₹ 7.08 लाख का कम आरोपण हुआ ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर ने बताया (दिसम्बर 2011) कि लायसेंसधारक से ₹ 79,944 वसूल किये जा चुके हैं और शेष राशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी ।

3.5.26 बेसिक लायसेंस फीस के गलत निर्धारण के कारण मदिरा का अधिक प्रदाय

आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचना दिनांक 5 फरवरी 2011 के तहत जारी वर्ष 2011–12 के लिये दुकानों से मदिरा विक्रय की शर्तो में प्रावधान है कि भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर के नगर निगम क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों के लिये बेसिक लायसेंस फीस दुकान के वार्षिक मूल्य का 60 प्रतिशत, अन्य नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में यह 55 प्रतिशत तथा नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 50 प्रतिशत होगी । दुकान के वार्षिक मूल्य की शेष राशि वार्षिक लायसेंस फीस के रूप में वसूल की जायेगी । लायसेंसधारक द्वारा मदिरा क्रय करने हेतु भुगतान किये गये आबकारी शुल्क का समायोजन वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध किया जायेगा । बेसिक लायसेंस फीस पर मदिरा के प्रदाय की पात्रता नहीं होगी ।

हमने फरवरी 2012 में सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर के कार्यालय में वार्षिक एवं बेसिक लायसेंस फीस के निर्धारण सम्बंधी अभिलेखों से अवलोकित किया कि वर्ष 2011–12 के लिये देशी मदिरा दुकान, अमखेरा का लायसेंस ₹ 78.40 लाख वार्षिक मूल्य पर नवीनीकृत किया गया था । दुकान की बेसिक लायसेंस फीस इसे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित मानकर वार्षिक मूल्य के 50 प्रतिशत की दर से ₹ 39.20 लाख निर्धारित की गई, जबकि यह वार्षिक मूल्य के 60 प्रतिशत की दर से ₹ 47.03 लाख निर्धारित की जाना चाहिये थी क्योंकि दुकान, नगर निगम जबलपुर में स्थित थी । इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 लाख की बेसिक लायसेंस फीस का कम निर्धारण हुआ और इस प्रकार वार्षिक लायसेंस फीस उसी राशि से अधिक निर्धारित हुई । नियमानुसार इस राशि पर मदिरा का प्रदाय अनुमत्य नहीं था । तथापि, विभाग ने लायसेंसी द्वारा मदिरा के क्रय हेतु भुगतान की गई आबकारी शुल्क की इस राशि का समायोजन इसे वार्षिक लायसेंस फीस मानकर अनुमत्य कर दिया । इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.84 लाख शुल्क से अन्तर्निहित देशी मदिरा का अधिक प्रदाय हुआ ।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी आयुक्त, जबलपुर ने बताया (फरवरी 2012) कि अमखेरा स्थित देशी मदिरा दुकान कलेक्टर जबलपुर द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में वर्गीकृत की गई थी और बेसिक लायसेंस फीस तदनुसार जमा की गई थी । हम सहमत नहीं हैं क्योंकि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, अमखेरा जबलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 62 में स्थित है ।

हमने प्रकरण मई 2010 एवं जुलाई 2012 के मध्य आबकारी आयुक्त एवं शासन को प्रतिवेदित किया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013) ।

3.5.27 निष्कर्ष

निष्पादन लेखा परीक्षा से प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा, मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों के संग्रहण हेतु संस्थापित प्रणाली अपूर्ण थी । निर्यात/परिवहन की गई मदिरा के आबकारी सत्यापन प्रमाण पत्र, आसवनियों में स्प्रिट के न्यूनतम स्टाक का संधारण, मदिरा के निर्यात, परिवहन, भण्डारण तथा विनिर्माण आदि के दौरान छीजन आदि जैसे अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवीक्षण का अभाव था । आन्तरिक लेखा परीक्षा भी, जो कि आंतरिक नियंत्रण कार्यविधि का एक महत्वपूर्ण अवयव है, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में निष्प्रभावी हो गया । इसके अतिरिक्त, विभाग बहुत से क्षेत्रों जैसे कि मदिरा के विनिर्माण तथा विक्रय हेतु लायसेंस जारी करना, लायसेंस फीस का संग्रहण, मदिरा/स्प्रिट के परिवहन तथा आयात पर फीस का संग्रहण आदि के संबंध में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों तथा शासन द्वारा जारी अनुदेशों का पालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप मदिरा पर आबकारी प्राप्तियों की सारभूत राशि की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई ।

3.5.28 अनुशंसाओं का सारांश

राज्य आबकारी शुल्क एवं फीस के प्रभावी आरोपण एवं संग्रहण के लिये शासन द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाओं को लागू किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

- आसवनी में अल्कोहल उत्पादन के लिये रखा हुआ शीरा एवं अन्य मुलों पर नियंत्रण के लिये आसवनी नियमों में प्रावधान किया जाना;
- बीयर के न्यूनतम उत्पादन के लिये मानदण्डों का निर्धारण किया जाना;
- लायसेंस फीस के समायोजन उपरांत संगणित की गई दुकानों के पुनरीक्षित वार्षिक मूल्य पर अहाता लायसेंस फीस की वसूली के लिये आवश्यक प्रावधान लाना; और
- आन्तरिक लेखापरीक्षा क्रियाविधि को सशक्त करना ।

3.6 बीयर के विनिर्माण में अधिक छीजन पर शास्ति का अनारोपण

म0प्र0 यवासवनी एवं मद्य नियमों में प्रावधान है कि किसी यवासवनी में रेकिंग*, वाष्पीकरण, भण्डारण, पाश्चुरीकरण तथा अन्य आकस्मिकताओं के कारण हुई हानियों (छीजन) के लिए पांच प्रतिशत तिमाही मौक दिया जायेगा, जो पूर्ववर्ती तिमाही के अंतशेष तथा तिमाही के दौरान उत्पादित मात्रा पर पाँच प्रतिशत की दर से छूट दिये जाने का प्रावधान है। यदि वार्षिक छीजन पाँच प्रतिशत से अधिक है तो विहित सीमा से अधिक छीजन पर लायसेंसधारक 13 दिसम्बर 2011 तक तत्समय देय शुल्क के तीन गुने से अधिक किन्तु चार गुने से अनधिक, और उसके वाद तत्समय देय शुल्क की राशि से अनधिक शास्ति के भुगतान का दायित्वाधीन होगा। आबकारी आयुक्त ने परिपत्र दिनांक 15 मई 2008 में बीयर के विनिर्माण और उस पर छीजन के लिये तिमाही/ वार्षिक विवरणियाँ निर्धारित की हैं जो यवासवनियों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से आबकारी आयुक्त तथा उप आयुक्त आबकारी को प्रेषित की जायेंगी।

* बीयर का एक पात्र से दूसरे पात्र में अन्तरण करना ।

हमने दिसम्बर 2010 में मुरैना जिले में स्थित एक यवासवनी [57] के बीयर उत्पादन और विनिर्माण छीजन की पंजियों एवं मई 2011 में संग्रहीत अन्य जानकारी से अवलोकित किया कि वर्ष 2010–11 के दौरान रेकिंग, वाष्पीकरण एवं भण्डारण आदि के कारण 11,61,386 बल्क लीटर बीयर की छीजन हुई जो अनुमत्य सीमा 11,53,812.5 बल्क लीटर से 7,573.5 बल्क लीटर अधिक थी । इस प्रकार लायसेंसधारक न्यूनतम शास्ति ₹ 11.81 लाख का भुगतान करने के दायित्वाधीन था। तथापि, यह देखा गया कि यवासवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई दण्डात्मक कार्रवाई प्रारंभ नही की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.81 लाख[58] की शास्ति का आरोपण/प्राप्ति नहीं हुई।

प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2012); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

[57] मैसर्स स्कोल ब्रेवरीज लिमिटेड, मैसर्स तृप्ति एल्कोबू लिमिटेड, मुरैना में उप किरायेदार।

[58] 7573.5 ब.ली. × ₹ 52 × 3 = ₹ 1181466 (₹ 11.81 लाख)